भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1028.

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

रोहड़ू, शिमला में मोबाइल वैन कैन्टीन की सुविधा

1028. श्री पि. भट्टाचार्यः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले स्थित रोहड़ू में तथा इसके आसपास केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत कार्मियों एवं उनके परिवारों की भारी संख्या के मद्देनजर सरकार उनके लिए केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी;
(ख) शिमला के रोहड़ू से काफी दूर होने के कारण क्या सरकार इस क्षेत्र में मासिक आधार पर कम-से-कम मोबाइल वैन की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी, यदि अभी पूरी तरह से तैयार कैन्टीन की व्यवस्था नहीं की जा सकती; और
(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में रहने वाली बड़ी आबादी को यह सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग) : केन्द्रीय पुलिस कैन्टीन (सीपीसी) प्रणाली सेवारत/सेवानिवृत्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स के कार्मिकों के लिए दिनांक 18.09.2006 को आरंभ की गई थी। आज की तारीख तक समूचे देश में कुल 119 मास्टर कैंटीनें (एमसी) और 1371 सहायक कैंटीनें (एससी) कार्य कर रही हैं। इनमें से 02 मास्टर कैंन्टीन (एमसी) और 17 सहायक कैंटीनें (एससी) हिमालय प्रदेश राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रही हैं, जिनमें से 01 मास्टर कैंटीन (एमसी) और 07 केन्टीनें सहायक (एससी) केवल शिमला जिले में कार्य कर रही हैं। सीपीसी सामान्यतः सीएपीएफ और असम राइफल्स के स्थानों पर स्थित हैं। सीपीसी प्रणाली की पहुंच का विस्तार करने के लिए सरकार ने सीपीसी की सुविधा को सभी राज्य पुलिस कर्मियों के लिए भी बढ़ा दिया है ताकि सभी सेवानिवृत सीए पीएफ और असम राइफल्स के कार्मिक, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले कार्मिक, उनके क्षेत्रों में स्थित राज्य पुलिस कैंटीन के माध्यम से सीपीसी की सुविधा प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, सरकार का निकट भविष्य में मोबाइल कैंटीन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

***